हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

डॉ. कान्तेश खेतानी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 170/2019

28.10.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कान्तेश खेतानी पता मंघाराम खेतानी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर ई–शास्त्रीनगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.08.19. में उसके द्वारा (1) दिनांक 20.06.17 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के सन्दर्भ में श्री लक्ष्मण खेतानी द्वारा हमारे पैतृक मकान नं. 23–24 (एक युनिट 367 गज) सिन्धी कॉलानी, जलजोग सर्कल, जोधपुर के वर्ष 2015–16 तक बकाया यूडी टेक्स शिविर के दौरान निगम के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों से मिली भगत कर उक्त प्रोपर्टी के बिना बंटवारे, बिना वैध हस्तान्तरण किये संयुक्त सम्पति के दो हिस्से करके एक हिस्से को अपने स्वयं की सम्पति घोषित कर दी इस बाबत् की गई कार्यवाही, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1445 दिनांक 09.10.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1438 दिनांक 01.10.19 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2019.11.09 11:29:12 IST
Reason: SelfAttested